

पाठ्यचर्या में कार्य शिक्षा और इसके निहितार्थ

केवलानंद काण्डपाल*

वर्तमान समय में विद्यालयी शिक्षा विद्यार्थी-केंद्रित है। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में ऐसे गुण विकसित किए जाएँ, जिससे वे न केवल विद्यालयी वातावरण, अपितु सामाजिक एवं पारिवारिक ढाँचे में उचित व्यवहार के तरीके सीख सकें। अतः शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिससे बच्चों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की और मौलिक अभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित हो तथा आर्थिक प्रक्रियाओं व सामाजिक बदलावों को समझने और उसमें योगदान करने का कौशल विकसित हो। इसके साथ-साथ बच्चों में मानव मात्र के प्रति गरिमापूर्ण व्यवहार करने के मूल्य का बीजारोपण भी होता रहे। बच्चों में, शारीरिक एवं मानसिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के प्रति सम्मान हो। इस लेख में इन्हीं मानवीय मूल्यों एवं श्रम की गरिमा की शिक्षा पर प्रकाश डाला गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (एन.सी.एफ़ 2005) में, शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों की ओर इंगित किया गया है, इसमें बच्चों में विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता विकसित करना, दूसरों के कल्याण और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों में नई परिस्थितियों के प्रति लचीले और मौलिक ढंग से पेश आने के लिए ज़रूरी कौशल का विकास करना भी सम्मिलित है। हमारे समाज में जाति व्यवस्था के ढाँचे में श्रम आधारित किसी भी गतिविधि को हेय दृष्टि से देखा जाता है, समाज में श्रम के प्रति सम्मान की भावना का अभाव देखा जाता है। जैसा कि एक बार डॉ. भीमराव अम्बेडकर

ने कहा था कि जाति व्यवस्था श्रम का बँटवारा ही नहीं है, बल्कि श्रमिकों का भी बँटवारा है। जातियों के ऊँच-नीच के क्रम में शारीरिक एवं मानसिक श्रम का विभेद, जाति व्यवस्था के अंतर्गत, श्रम का बँटवारा ही नहीं है, बल्कि श्रमिकों का भी बँटवारा है। जातियों के ऊँच-नीच के क्रम में शारीरिक एवं मानसिक श्रम के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा दिखाई देती है।

वस्तुतः सामाजिक संरचना के अंतर्गत ही विद्यालय संचालित होते हैं, अतः समाज में प्रचलित धारणाओं एवं मूल्यों से विद्यालय अछूते नहीं रह पाते। जैसे-जैसे बच्चे उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे उनमें बुनियादी श्रमाधारित उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रति अरुचि भी बढ़ती जाती है। स्कूल

जाने वाले हर बच्चे का रोजमर्रा के घरेलू कामों (घर का झाड़ू-पोछा, बरतन साफ़ करना, कचरा फेंकना, कपड़े धोना आदि) के प्रति अरुचिपूर्ण एवं नकारात्मक रवैया होता है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि यह सब माँ का काम है या परिवार की महिलाओं का काम है। यदि परिवार समर्थ है तो फिर यह घरेलू नौकर का काम है (प्रायः यह कोई महिला ही होती है)। हमारे समाज में घरेलू काम करने वाली महिला का दर्जा भी वही होता है जो निम्न समझे जाने वाले मजदूर का होता है। ऐसा काम न तो उचित वेतन दिलाता है और न ही समाज में गरिमा की दृष्टि से देखा जाता है। श्रम के प्रति अनादर की भावना जाति आधारित भी है और जेंडर आधारित भी। ऐसे विचार उत्तराधिकार में मिले सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से मजबूती पाते हैं। यदि हमें इस स्थिति को सुधारना है तो श्रम के प्रति आदर की भावना जगाने के लिए, स्कूली पाठ्यचर्या में इसके लिए समुचित प्रावधान करने होंगे और इसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी। इसके लिए पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में माता-पिता एवं अभिभावकों को भी सहभागी बनाने की आवश्यकता है।

काम की शिक्षा या कार्य शिक्षा वास्तव में पद्धति है, जिसमें अब आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। अभी तक यह माना जाता रहा है कि यह शिक्षण और अधिगम की व्यवस्था है, इसलिए सभी समुदायों ने शिक्षण के औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके बनाए और अपनाए। ऐसे शिक्षण तथा अधिगम का लक्ष्य मुख्य रूप से बच्चों तथा किशोरों को सामुदायिक जीवन के तौर-तरीकों से परिचित कराना है।

कार्य के लिए शिक्षा (वर्क एजुकेशन) शिक्षा की एक ऐसी समावेशी विधि है, जिसमें कक्षा में विषयगत शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों को समाजोपयोगी कार्य/कार्यों के व्यावहारिक अनुभव प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यावहारिक अनुभव बच्चों के भावी जीवनक्रम, जीवन मूल्यों का आधार बनते हैं व बनने चाहिए। इस प्रकार काम की शिक्षा, विद्यालय के किन्हीं वादनों में कुछ शारीरिक श्रम कराना मात्र नहीं है, वरन् यह स्कूली पाठ्यचर्या का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। बच्चे अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों से बहुत-से अनुभव ग्रहण करते हैं और इस तरह से सीखते रहते हैं। नई वस्तुएँ और घटनाएँ उन्हें सर्वाधिक आकर्षित करती हैं। इस कारण अपने परिवेश को देखकर उनमें बहुत-सी जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में वह घर, विद्यालय, परिवार एवं आस-पड़ोस के अनेक उत्पादक कार्यों में शामिल होता है, जिससे न केवल उनकी जिज्ञासा शांत होती है, वरन् परस्पर सहयोग और दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति का विकास भी होता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में, कार्य अनुभव को कार्य शिक्षा के रूप में देखा गया है। इस प्रकार कार्य शिक्षा, शिक्षा का अभिन्न अंग है, यह विद्यार्थियों में आवश्यक ज्ञान तथा कौशल का बीजारोपण तो करती है, साथ ही संवेदनशील नागरिक हेतु उपयुक्त मूल्यों का बीजारोपण भी करती है। काम की शिक्षा, बच्चों को अपने भावी कार्य-जीवन, कार्य के संसार में प्रवेश हेतु तैयार करती है। कार्य शिक्षा विद्यार्थियों

को सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों (कक्षा के भीतर तथा बाहर) में भाग लेने के अवसर प्रदान करती है। यह विभिन्न कार्यों के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विधियों की समझ बनाने में सहायक है। कार्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य समस्त श्रम-कार्यों के प्रति गरिमा तथा आदर का भाव उत्पन्न करना है। गांधीजी ने सन् 1921 में, *यंग इंडिया* में लिखे एक लेख में, बुनियादी शिक्षा की अपनी कल्पना की शिक्षा के संदर्भ में कहा है कि ऐसी शिक्षा तीन उद्देश्य पूरे करेगी— शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चे के शरीर व दिमाग, दोनों का विकास करना, बच्चे को आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। गांधीजी के बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में यह ध्यान देने योग्य बात है कि पाठ्यक्रम में शिल्प की शिक्षा को अलग से शामिल करना नहीं है, वरन् शिल्प के माध्यम से शिक्षा है। उनका मत था कि विद्यालय के क्षेत्र में व्यवहृत शिल्प या दस्तकारी विद्यालय की पाठ्यचर्या के केंद्र में हो और इसकी परिधि में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों की पाठ्यचर्या बुनी जाए। किसी स्थान विशेष/विद्यालय विशेष में इस तरह के पाठ्यक्रम से बच्चों के मस्तिष्क, हृदय और क्रियाशील हाथों का समन्वित विकास होना संभव है।

इस प्रकार की शिक्षा सभी प्रकार के हस्त कार्यों के प्रति सम्मान और गरिमा के दृष्टिकोण का निर्माण करती है। यह श्रम और हस्त कार्यों तथा समाज में गरिमापूर्ण समझे जाने वाले कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के बीच के विभेद को दूर करने

में मददगार हो सकती है। अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाती है, यह समाज के लिए उपयुक्त कार्य कौशल का विकास करती है। काम की शिक्षा, काम के प्रति उचित व्यवहार, काम के अनुकूल आदतों तथा मूल्यों का बीजारोपण करने में सहायक है, यह विद्यार्थियों में काम से संबंधित आवश्यक ज्ञान एवं कौशल के माध्यम से उत्पादक कार्य द्वारा आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने में सहायक सिद्ध हो सकती है, इस प्रकार यह विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यों से जोड़कर सामाजिक गुणों का विकास करने का एक उचित माध्यम हो सकती है। कार्य शिक्षा, विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहायक हो सकती है। इसलिए विगत की शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं, रिपोर्टों, नीतियों तथा दस्तावेजों में इसे आवश्यक बताया गया है।

गांधीजी की बुनियादी शिक्षा, कोठारी कमीशन रिपोर्ट, रा.शै.अ.प्र.प. की दसवर्षीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2000, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986*, *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005* ने कार्य शिक्षा/काम की शिक्षा को, शिक्षा प्रणाली का आवश्यक अंग माना है। गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में बच्चे, समाज तथा देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था। उनके द्वारा प्रस्तावित 'नयी तालीम' या 'बुनियादी शिक्षा' के लिए उन्होंने शिल्प या दस्तकारी (कताई-बुनाई, बागवानी, कृषि, चर्म कार्य, मिट्टी का काम आदि में से कोई एक) को केंद्रीय स्थान दिया और कार्य के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया। इसमें

बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आधारभूत शिल्प, जैसे— कृषि, कताई, बुनाई, लकड़ी, चमड़े, मिट्टी का काम, मछली पालन, फल व सब्जी की बागवानी, बालिकाओं हेतु गृह-विज्ञान तथा स्थानीय एवं भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षाप्रद हस्तशिल्प को केंद्र में रखने का प्रस्ताव था। इसके अलावा मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी, शारीरिक शिक्षा आदि को रखा गया था। शिक्षण विधि को शिक्षण के वास्तविक कार्यकलापों और अनुभवों पर आधारित करने का आग्रह था। उनके अनुसार शिक्षण विधि व्यावहारिक होनी चाहिए व विभिन्न विषयों की शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जानी चाहिए, इसमें करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना तथा क्रिया के माध्यम से सीखने पर बल दिया गया था। बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत सीखने की 'समवाय पद्धति' का विचार प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समस्त विषयों की शिक्षा को किसी कार्य या हस्तशिल्प के माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित था।

कोठारी आयोग (1964–66) भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों के मद्देनजर कुछ ठोस सुझाव देने का प्रयास किया था। आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्यानुभव, जिसमें हाथ से काम करने तथा उत्पादक अनुभव सम्मिलित हों, को आरंभ किया जाए। ईश्वरभाई पटेल समिति (1977) ने कार्यानुभव को 'समाजोपयोगी उत्पादक कार्य' का नाम देते हुए, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक पक्ष

पर विशेष बल दिया। इस समिति ने छह आधारभूत आवश्यक क्षेत्रों की पहचान की यथा— भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, संस्कृति और मनोरंजन तथा सामुदायिक कार्य एवं समाज सेवा। कार्यानुभव के क्रियाकलाप इन्हीं क्षेत्रों के इर्द-गिर्द विकसित किए जाने का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कार्यानुभव को उद्देश्यपूर्ण, सार्थक, संगठित हस्त कार्य के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में माना गया, इसे पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्तर पर उपयोगी सामुदायिक सेवा के रूप में शामिल करने की अनुशंसा की गई। इस नीति में कहा गया कि कार्यानुभव हेतु आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता एवं आवश्यकता आधारित हों ताकि ज़रूरी दक्षता और कौशल का विकास हो सके। ये गतिविधियाँ स्तर के अनुसार बढ़ते क्रम में आयोजित करने का सुझाव दिया गया। शिक्षा नीति में, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चों में ज्ञान, कौशल, गुणों तथा अभिवृत्तियों का विकास कर आत्म सहायक नागरिक तैयार करना बताया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2000 में, कार्य शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक मानवीय श्रम माना गया, जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतरंग भाग के रूप में आयोजित की जानी चाहिए। इसके परिणाम, सामग्री के उत्पादन और समुदाय की सेवा के रूप में प्रकट होते हैं जिसमें आत्मसंतोष तथा आनंद का अनुभव भी होता है। इसे शिक्षा के सभी स्तरों पर एक आवश्यक तत्व के रूप में सुनियोजित और श्रेणीबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से सिखाना चाहिए। इस क्षेत्र में

जिन दक्षताओं का विकास किया जाएगा उनमें ज्ञान, समझ, व्यावहारिक कौशल और मूल्य आवश्यकता आधारित जीवन क्रियाएँ शामिल करने का सुझाव प्रमुख रूप से दिया गया।

क्या किया जा सकता है?

कार्य शिक्षा/काम की शिक्षा की गतिविधियों का संयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इनसे कार्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, जैसे— शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना, आत्मनिर्भरता के मूल्यों का बीजारोपण, सहकारिता की भावना का विकास, सहायता करने/सहयोग की भावना, सहिष्णुता और कार्य-आचरण। ये तमाम उद्देश्य उन उद्देश्यों के अतिरिक्त हैं जो उत्पादक कार्य और सामुदायिक सरोकारों से जुड़े दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार भी इस प्रकार के होने चाहिए कि वे विद्यार्थियों को तथ्यों, अवधारणाओं और विभिन्न रूपों में कार्य स्थितियों के अंदर निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने में सक्षम बना सकें। विद्यार्थी, कच्चे माल के स्रोतों को जान सकें, औजारों एवं उपकरणों के उत्पादन और कार्य-प्रक्रिया को समझ सकें, प्रचलित प्राद्यौगिकी के अनुरूप आगे बढ़ने वाले समाज की ज़रूरत के मुताबिक ज्ञान एवं कौशल अर्जित करें और समाज में उत्पादक स्थितियों में अपनी भूमिका के बारे में विचार करने के साथ अपनी भूमिका निर्वहन भी कर सकें। विद्यार्थियों में कार्य की शिक्षा के द्वारा कुछ विशेष कौशल विकसित करने की आवश्यकता है, जैसे— पहचानना, अवलोकन करना, अनुमान

लगाना, चयन करना, परीक्षण करना, प्रयोग करना, व्यवस्थित करना और नवाचारात्मक तरीके विकसित करना। ये सभी कौशल विद्यालय में अन्य विषयों की पाठ्यचर्या के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। इनके अलावा अन्य कौशल, जैसे— कुशलता के साथ अंग संचालन, कार्य-अभ्यासों में सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जो विद्यार्थियों की उत्पादक कुशलता बढ़ाने में लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुँचते-पहुँचते विद्यार्थी इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वे कुछ ऐसे काम भी कर सकने में समर्थ हो जाते हैं, जिनमें कुछ खास हुनर और सुगठित शारीरिक सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है। प्राथमिक स्तर तक बच्चा स्वास्थ्य और श्रम हेतु ज़रूरी शारीरिक सामर्थ्य के बारे में समुचित रूप से अभिमुखीकृत हो जाता है या उसे हो जाना चाहिए। प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर श्रम शिक्षा/कार्य की शिक्षा का पाठ्यचर्या संयोजन इस प्रकार से किया जाए कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। इस प्रकार गतिविधियों के तीन आयाम हो सकते हैं—

- समुदाय की कार्य-स्थितियों का अवलोकन और कार्य स्थितियों की पहचान।
- समुदाय की कार्य स्थिति की पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों की श्रम-कार्य में भागीदारी।
- श्रम-कार्य अनुभव के परिणामस्वरूप उत्पादक कार्य के प्रति संवेदनशीलता।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में, काम और शिक्षा के बारे में कहा गया है कि सामान्य अर्थों

में कहें तो यह एक ऐसी गतिविधि है जो कुछ बनाने या करने की तरफ़ इशारा करती है। इसका अर्थ यह भी है कि धन या किसी अन्य वस्तु के बदले किसी और के लिए श्रम करना। इस प्रकार की कई गतिविधियाँ भोजन तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हो सकती हैं। समाज में इन दो बुनियादी आयामों (भोजन उत्पादन और सुचारू व्यवस्था की स्थापना) के अतिरिक्त और भी कई ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनका संबंध मनुष्य के हित से जुड़ा होता है और इसलिए उन्हें भी काम की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस तरह काम का तात्पर्य समाज और/या समुदाय के अन्य लोगों के प्रति दायित्व के निर्वहन से है। इसका अर्थ यह भी है कि समाज में व्यक्ति अपना और अपनी सामर्थ्य का योगदान दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा अर्थोपार्जन हेतु कर रहा हो।

दूसरा, इसका आशय होता है कि किया गया काम सार्वजनिक निष्पादन मानकों के अनुरूप हो। क्योंकि किसी के योगदान का मूल्य दूसरे लोग लगाते हैं। तीसरा, काम का मतलब सामाजिक जीवन में योगदान भी हो सकता है, चाहे वह समाज के लिए कुछ उत्पादन करना हो या सामान्य जीवन को संभव बनाने की कोई गतिविधि। अंतिम बात यह है कि काम मानव जीवन को समृद्ध बनाता है, क्योंकि यह सम्मान तथा आनंद के नए आयाम सामने रखता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अक्सर समाज में बच्चों का समाजीकरण भेदभावपूर्ण ढंग से होता है। हम वयस्क लोग बच्चों का समाजीकरण एक प्रभावी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिमान के अनुसार करते

हैं। हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि श्रम का असम्मान, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के साथ हेय व्यवहार करना मानव उत्पीड़न का सबसे प्रचलित तरीका है। इसके लिए ज़रूरी है कि काम को पाठ्यचर्या का अहम हिस्सा बनाया जाए, परंतु इसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यह काम बच्चों को लादा हुआ न लगे और इससे उनके सीखने की क्षमता प्रभावित न हो। स्कूली दिनचर्या में प्रतिदिन की गतिविधियाँ, जो जाति या जेंडर के आधार पर चलाई जाती हैं, को सख्ती से रोकने की आवश्यकता है।

सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि शिक्षक स्वयं इसमें शामिल न होकर बच्चों को काम करने के लिए कहें तो इससे पाठ्यचर्या में काम को समेकित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। स्कूली पाठ्यचर्या में काम की शिक्षा किसी भी दशा में बच्चों के शोषण का माध्यम नहीं बननी चाहिए। काम, बच्चों के लिए सीखने का क्षेत्र भी होता है, चाहे बच्चा घर में हो, स्कूल में, अपने समाज में या काम करने के स्थान पर। यह माना जाता है कि बच्चे काम की अवधारणा को बहुत छोटी उम्र से ही समझने लगते हैं, बच्चे अपने अभिभावकों के काम करने के तरीकों की नकल करते हैं और उनके जैसा करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। यह देखना असामान्य नहीं है कि छोटे-छोटे बच्चे फर्श साफ़ करने का, कपड़े धोने का या खाना बनाने का अभिनय कर रहे हों। कई शिक्षाशास्त्रीय विधियों में काम का उपयोग शैक्षणिक उपकरण के रूप में किया जाता है, जैसे—मॉन्टेसरी पद्धति में कार्य-कौशल और अवधारणाओं को शुरुआती पाठ्यचर्या में ही जगह दी जाती है।

सब्जी काटना, कक्षा साफ़ करना, बागवानी और कपड़े साफ़ करना शिक्षण-चक्र का हिस्सा होते हैं। बच्चों की आयु व योग्यता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया उपयोगी कार्य उनके सामान्य विकास में तो योगदान देता ही है, साथ ही जब उसे बच्चों के द्वारा अपने जीवन पर लागू किया जाता है तो वह बच्चों में उपयोगी मूल्यों, वैज्ञानिक अवधारणाओं की आधारभूत समझ और रचनात्मक अभिव्यक्ति के एक अहम घटक के रूप में कार्य करता है। बच्चे काम के द्वारा अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी अस्मिता स्थापित करते हैं, स्वयं को उपयोगी और महत्वपूर्ण समझते हैं, यह काम बच्चों को अर्थवान बनाता है और इसके माध्यम से बच्चे समाज का हिस्सा बनते हैं। सामाजीकरण की यह प्रक्रिया, सामाजीकरण के किसी अन्य तरीके से बेहतर प्रतीत होती है।

कार्य शिक्षा के शिक्षणशास्त्र में, कक्षा के सभी बच्चों के समावेशन की अहम संभावना निहित होती है। कार्य शिक्षा की कक्षा में बच्चे काम में तल्लीनता का आनंद उठाते हैं। कार्य शिक्षा में प्राप्य लक्ष्य मूर्त एवं स्पष्ट होते हैं और परस्पर अंतर्निर्भरता का ताना-बाना होता है, इससे न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है, वर्न् मिलजुलकर काम करने के मूल्यों का प्रत्यक्ष अनुभव भी मिलता है। यह अनुभव किसी समावेशी लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत ही उपयोगी मूल्य है। कार्य शिक्षा में किसी काम को संपन्न करने के लिए अनुशासनात्मक ढंग से काम करना होता है, जिससे आत्म नियंत्रण और भावनाओं को काबू में रखने का सामर्थ्य विकसित होता है। इस प्रकार से स्वानुशासन

अधिक प्रभावी होता है, बजाए उस अनुशासन के जो एक शिक्षक द्वारा बच्चों पर थोपा जाता है। किसी भी काम को करने में काम की सामग्री तथा दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क/संवाद (बहुधा दोनों) शामिल होते हैं। इससे किसी प्राकृतिक वस्तु तथा सामाजिक संबंध, दोनों की ही समझ पुख्ता होती है। यह उन शारीरिक कौशल के अतिरिक्त होता है जो किसी काम को करने के लिए ज़रूरी हैं। कार्य शिक्षा का संबंध काम के संदर्भ में अर्थ-निर्माण और ज्ञान के सृजन से स्थापित हो जाने पर इसके पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह इसलिए और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत के बहुसंख्यक परिवारों में घर का काम-काज और पारिवारिक कार्य-व्यवसाय, जीवन जीने का एक तरीका है। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली बच्चों पर रटने के दबाव के कारण, अकादमिक गतिविधियाँ अनुशासनात्मक जकड़न में फँसकर रह जाती हैं। अकादमिक शिक्षा और काम को जब एक साथ समेकित कर दिया जाए तो इससे अकादमिक ज्ञान में रचनात्मकता और काम में अधिक सहजता आएगी।

कार्य शिक्षा को पाठ्यचर्या में शामिल करने की चुनौतियाँ

संसाधनों और शिक्षण सामग्रियों के लिहाज से हमारे स्कूल अभी तक इतने समर्थ नहीं हुए हैं कि काम को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जा सके। काम आवश्यक रूप से अंतरानुशासनात्मक होता है इसलिए काम को अगर स्कूली पाठ्यचर्या से जोड़ना है तो परिपक्व शिक्षाशास्त्रीय समझ की आवश्यकता होगी, जिसमें यह समझा जा सके कि काम को अधिगम

से कैसे समेकित किया जाए? और इसका आकलन एवं मूल्यांकन कैसे हो? स्कूली पाठ्यचर्या में काम के संस्थानीकरण के लिए रचनात्मक और साहसिक चिंतन की आवश्यकता होगी। यह पता लगाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हाशिए पर रहने वाले बच्चे का समृद्ध ज्ञान आधार और कौशल, जो ऐसे बच्चों के लिए सम्मान का ज़रिया भी हैं, दूसरे बच्चों के लिए अधिगम का स्रोत बन सकते हैं। समाज के व्यापक उत्पादक अनुभवों के ज्ञान संग्रह को शिक्षा व्यवस्था के रूपांतरण में उपयोग करने की व्यापक संभावनाएँ हैं। काम को 'वैद्य ज्ञान के स्रोत' के रूप में देखने से महिलाओं और अलाभकर वर्ग के समूहों को काम की अदृश्यता को पहचान का मौका मिल सकेगा। यह पहचान उन कामों के संदर्भ में होगी, जिसे समाज में उपयोगी माना जाता है।

कार्य को पाठ्यचर्या का केंद्रीय आधार बनाया जाए तो पाठ्यचर्या की किताबी एवं सूचना आधारित पद्धति को चुनौती दी जा सकेगी। कार्य शिक्षा में बच्चों की जीवन संबंधी आवश्यकताओं को जोड़ा जा सकता है। काम को इस्तेमाल करने का शिक्षाशास्त्रीय अनुभव बचपन और किशोरावस्था के विभिन्न स्तरों में विकास का एक प्रभावी और समीक्षात्मक साधन बन सकता है। इसी बिंदु पर कार्य-केंद्रित शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा से अलग नज़र आती है। पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर की स्कूली पाठ्यचर्या का पुनर्गठन करना चाहिए ताकि काम को ज्ञान अर्जन का शिक्षाशास्त्रीय माध्यम बनाकर कार्य-मूल्यों एवं विविध कौशल का विकास किया जा सके और काम की समस्त शिक्षाशास्त्रीय

संभावनाएँ हासिल की जा सकें। पाठ्यचर्या में इस विचार को समाहित करने की आवश्यकता है कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे काम के संसार में प्रवेश करने हेतु तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। कार्य आधारित सामान्य दक्षताएँ शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर दी जानी चाहिए। कार्य शिक्षा के द्वारा आलोचनात्मक सोच, अधिगम, रचनात्मकता, संप्रेषण कौशल, सौंदर्यबोध, मिल-जुलकर काम करना, स्वानुशासन एवं जवाबदेही के मूल्यों का बीजारोपण संभव है। इसके लिए मूल्यांकन के मानकों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत होगी। इसे एक उदाहरण से समझना उचित होगा। प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान विषय के शिक्षण के दौरान बच्चों के आस-पास कार्य गतिविधियों में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों एवं प्रक्रियाओं के अवलोकन एवं अनुभव के द्वारा दैनिक जीवन के कार्यों को करने में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ पैदा की जा सकती है, जैसे—

- कुएँ की घिरनी कैसे काम करती है?
- किसान का हल खेत जुताई के समय किस प्रकार से काम करता है?
- साइकिल का पहिया कैसे घूमता है?
- दालों को भिगाने के बाद उसे पकाने से लाभ तथा संतुलित आहार का अर्थ।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का महत्व आदि।

इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक कार्य व उसके करने के तरीके में और उसका समाज में प्रभाव पर चर्चा की जा सकती है तथा प्रोजेक्ट कार्य दिए जा सकते हैं, जैसे— विद्यालय एवं उसके आस-पास की सफ़ाई, पेयजल के स्रोत की

साफ-सफाई एवं संरक्षण, विद्यालय के पेयजल की व्यवस्था, पेयजल के बर्तनों की साफ-सफाई, कचरे का निस्तारण, गड्डों का भराव, कम्पोस्ट पिट का निर्माण, कक्षा-कक्ष की साफ-सफाई तथा सजावट, हस्तकला कार्य की प्रदर्शनी का आयोजन, कृषि कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी, स्थानीय दस्तकारों के साथ समय व्यतीत करना और काम का अनुभव प्राप्त करना आदि।

निष्कर्ष

जीवन में चुनाव व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी समाज में विभिन्न प्रकार से योगदान देने की सामर्थ्य पर निर्भर है। यही कारण है कि शिक्षा को काम करने, आर्थिक प्रक्रियाओं व सामाजिक बदलाव में हिस्सा लेने के सामर्थ्य को विकसित करना चाहिए। इसके लिए काम का शिक्षा से जुड़ाव अपरिहार्य है। कौशल और प्रवृत्तियों के लिहाज से काम से जुड़े अनुभव इस तरह पर्याप्त और व्यापक होने चाहिए कि वे सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं की समझ पैदा कर सकें और ऐसी मानसिक संरचना विकसित करने में मदद करें जो सहकारिता की भावना से दूसरों के साथ मिलकर काम करने को प्रोत्साहन दे। केवल कार्य ही सामाजिक मनोवृत्ति की रचना कर सकता है।

सौंदर्य व कला के विभिन्न रूपों को समझना व उसका आनंद उठाना, मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कला, साहित्य और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में सृजनात्मकता का एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्यात्मक आस्वादन की क्षमता के विस्तार के लिए साधन और

अवसर मुहैया कराना शिक्षा का अनिवार्य कर्तव्य है। आज जबकि बाज़ार की शक्तियों में मतों व अभिरुचियों को प्रभावित करने की गुंजाइश ज्यादा है, सौंदर्य की समझ व रचनात्मकता के लिए शिक्षा की महत्ता और भी बढ़ गई है। विद्यार्थी को सौंदर्य के विभिन्न रूपों को समझने व उनका विवेचन करने में समर्थ बनाने का प्रयास होना चाहिए। बहरहाल, हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम मनोरंजन व सौंदर्य के उन रूढ़िबद्ध रूपों को प्रोत्साहित न करें जो महिलाओं व विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ झेल रहे व्यक्तियों को अपमानित करते हों। हम प्रायः श्रम को जीविकोपार्जन के एक साधन के रूप में ही देखते हैं, लेकिन क्या जीविकोपार्जन ही श्रम का एकमात्र लक्ष्य होता है या इस श्रम के माध्यम से किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति भी होती है। कुम्हार अपनी पूरी दक्षता एवं लगन से सुंदर आकृतियों वाले मिट्टी के खूबसूरत बरतन तैयार करते हैं। यह कार्य पैसा कमाने लिए किया जाता है, परंतु यह भी उतना ही सच है कि ऐसा करने से उन्हें आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है।

इसी प्रकार एक दस्तकार जब अपनी पूरी लगन व मेहनत से तैयार उत्पाद को बाज़ार में बेचने के लिए ले जाता है तो उसे उसकी अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद तो होती ही है, इसके साथ-साथ इस बात की खुशी व संतोष भी होता है कि उसके द्वारा तैयार किया गया सामान/वस्तु समाज के लिए न केवल उपयोगी है, बल्कि वह उसके तथा अन्य व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन भी है। कार्य शिक्षा इस प्रकार से संतुष्टि एवं प्रसन्नता के नए मार्ग प्रशस्त करती है।

हमने, अपने आस-पास लोगों को श्रम-दान करते हुए भी देखा है, ये लोग सार्वजनिक हित के लिए किए जाने वाले कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते हैं। कार्य न केवल जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरी है, वरन् अच्छा स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुष्टि के लिए भी ज़रूरी है। कार्य शिक्षा को सभी प्रकार के उपयोगी कार्यों को करके सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। जब कार्य करने के अवसर होंगे तो कौशल की प्राप्ति भी होगी ही। यह अनुभूति तथ्य है कि जब भी हम किसी कार्य को दक्षता से करने

की योग्यता प्राप्त करते हैं तो न केवल हम आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि उस कार्य के प्रति हमारा लगाव एवं समर्पण भी बढ़ जाता है। जब हम किसी कार्य को करने के दौरान कठिनाइयों को महसूस करते हैं, तभी हम उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता अनुभव करते हैं, उसके काम के प्रति सम्मान महसूस करते हैं, शारीरिक श्रम के प्रति गरिमापूर्ण नज़रिया विकसित करते हैं। कार्य शिक्षा, इसी प्रकार अनेक मानवीय मूल्यों के बीजारोपण एवं पोषण का साधन बनती है।

संदर्भ

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2007. *शिक्षा के लक्ष्य, राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार-पत्र 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- , 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.